संख्या- 123 /2020 / 896 /चार-2020-14 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-57/उ0प्र0सं0नि0-2(72)/2017-18 दिनांक 26 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु मूल्यांकित लागत रू0 311.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-65/2018/821/2018-14(बजट)/2017 दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा रू0 311.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 75.00 लाख की वित्तीय, शासनादेश संख्या-85/2019/610/2019-14(बजट)/2017 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा रू0 75.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-156/2019/2709/2019-14(बजट)/2017 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा रू0 75.00 लाख अर्थात कुल रू0 225.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 75.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-65/2018/821/2018-14(बजट)/2017 दिनांक 29 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-85/2019/610/2019-14(बजट)/2017 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या-156/2019/ 2709/2019-14(बजट)/2017 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुसार निदेशक, संग्रहालय निदेशालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में lfEefyr नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -39-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का सुदृढीकरण- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7- 750 /दस-2020 दिनांक 31 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 123 /2020/ 896 /चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, , उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,नीलगिरी, काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, इकाई-गोरखपुर
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, गोरखपुर
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।